संख्या– 135 / VI-1 / 2008–2(19)2007

प्रेषक,

सुवर्द्धन
अपर सचिव,
उत्तरांखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
देहरादून।

संस्कृति अनुभाग

देहरादून दिनांक : 27 मार्च, 2008

विषय :– वित्तीय वर्ष 2007–08 में विभिन्न योजनाओं में प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2416 / स.नि.उ. / 2–3 / 2007–08 दिनांक– 20 फरवरी, 2008, वित्त विभाग के पत्र संख्या–599(1) / XXXII(1) / 2007 दिनांक–12–7–2007 एवं शासनादेश संख्या 182 / VI-1 / 2007–2(19) / 2007 दिनांक–4–4–07, शासनादेश संख्या–373 / VI-1 / 2007–2 (19) / 2007 ,दिनांक–24 अगस्त 2007 तथा शासनादेश संख्या–385 / VI-1 / 2007–2(19)2007 दिनांक 30 अगस्त 2007, के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड के वित्तीय वर्ष 2007–08 के आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि में रू0 2000.00 हजार (रूपये बीस लाख मात्र) की धनराशि निम्नानुसार निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क.सं.	(क) 2205–कला एवं संस्कृति–00–102–कला एवं संस्कृति का सम्वर्द्धन–	
1.	22–जनसामान्य के मध्य संस्कृति का उन्नयन–42–अन्य व्यय	2000
	योग रूपये (रूपये बीस लाख) मात्र	2000

2. उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबंध के साथ स्वीकृत की जाती है कि उसके सम्बंध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–599(1) / XXVII(1)2007 दिनांक–12–7–2007 में विहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा । मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमो या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए।

3. धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता के सम्बंध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजे।

4. धनराशि का एक मुश्त आहरण न करके आवश्यकतानुसार योग महोत्सव पर हुए वास्तविक व्यय, जो नियमानुसार किया गया हो, के अनुसार आहरण किया जायेगा। आवंटित धनराशि की व्यय की संकलित सूचना बी0एम0–13 पर प्रतिमाह अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जायेगी।

5. धनराशि का किसी भी दशा में व्ययवर्तन नहीं किया जायेगा। धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता के सम्बंध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजे।

6.धनराशि का आहरण परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जाय, किसी भी दशा में धनराशि का आहरण परिव्यय एवं बजट व्यवस्था की सीमा से अधिक नहीं किया जायेगा।

7.सम्पन्न हो चुके योग महोत्सव पर जो वास्तविक व्यय हुआ है, उतनी ही धनराशि आहरित की जाय।

8. इस सम्बंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2007–08 उपर्युक्त अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–2205 कला एवं संस्कृति–00–आयोजनागत–102–कला एवं सांस्कृतिक का संवर्द्धन–00–22 जनमानस मध्य सांस्कृतिक उन्नयन योजना मानक मद–42 अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

9. उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 पत्र संख्या–1096(पी)/वित्त–(3)/2007 दिनांक–25, मार्च 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुवर्द्धन)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या– 135 /VI-I/2008, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित किये जाने हेतु।
3. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
6. एन.आई.सी. उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(सुवर्द्धन)
अपर सचिव